न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	9/9/16 पत्रावली [illegible] पत्रा. 27-9-16 को पेश हो
	27/9/16 अनुभाग उप. । प्रार्थी या प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है विद्युत विभाग अलवर को लिखा जावे आवेदन पत्रा. किया जावे पत्रा. नत्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जावे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0 01/2014

दायरा दिनांक 05.06.2014

निर्णय दिनांक 27-09-2016

अनुवान

1. हरचन्द पुत्र श्री हरिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 । प्रार्थी

बनाम

1. निहालसिंह
2. श्योदानसिंह
3. रामकिशन
4. बलराम पुत्रान श्री सिघाराम
5. मु0 किस्तूरी बेवा सिंघाराम
6. साधुराम
7. कंवरसिंह जाति गुर्जरान
8. रोहताश पुत्रान श्री धन्नाराम जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम कासिमपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0। अप्रार्थी0

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज.टी.ऐ.1955

उपस्थितः–

1. श्री श्रीनिवासशर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गतधारा 251–क राज. टी. ऐ. 1955इस न्यायालय में पेश किया । प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णन किया कि हम प्रार्थीगण के मकान ग्राम कासिमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में बनाये हुये है तथा अपने परिवार के सहित अपने मकानात में रिहायश करे हुये है। जो मकानात आबादी में स्थित है जिसे नक्शा प्रार्थी बरंग पीले से दर्शित किया गया है। आम रास्ता व हम प्रार्थीगण के मकानो के बीच में आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0–11 बिस्वा, व 179 रकबा 0–05 बिस्वा वाके ग्राम कासिमपुर तहसील कोटकासिम स्थित है जिस आराजी के तरफ पश्चिम कोने से उत्तर से दक्षिण 15 फुट चौडा रास्ता सैदव सदैव से 15 फुट रास्ता का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। रास्ता मौके पर जारी है। उक्त रास्ता सदैव सदैव से जारी है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी तथा प्रार्थी का परिवार व अन्य लोग उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण को अपने मकानातो में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता का प्रयोग ही प्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं। इसलिये उक्त रास्ता के अंकन राजस्व रिकोर्ड में किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अब अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है। जो उक्त रास्ते को जबरदस्ती बन्द कराना चाहते है तथा विवादित रास्ता पर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर हम प्रार्थीगण के रिहायशी मकानों का रास्ता बन्द करने पर उतारू है। लिहाजा श्रीमान को प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता का सदैव सदैव से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के मकानो में आने जाने के लिये नहीं है इसलिये आराजी खसरा नम्बर 180, 179 में से 15 फुट चौडा तथा करीब 60 फुट लम्बा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है जो रास्ता आज दिन भी मौके पर कायम है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 180, 179 में से 15 फुट चौडा नया रास्ता चाहतें हैं। उसकी कीमत नियमानुसार जितती भी बनती है उसको अदा करने को तैयार है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास विकल्प में अन्य कोई रास्ता नहीं है। कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 3.5.14 को रास्ता बन्द करने का असफल प्रयास किया है तथा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

कायम रखने से साफ इन्कार कर दिया जिससे बिनायदावी बिनायमुखासमत पैदा होकर प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद किया है। लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम है जिनको धारा 80 जा. दी. के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन अर्जेन्ट नेचर का मामला होने के कारण अलग से धारा 80(2) जा. दी. का प्रार्थना पत्र इजाजत अलग से पेश किया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से पेश कर अर्ज है कि आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0–11 बीघा, 179 रकबा 0–05 बीघा वाके ग्राम कासिमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर की पश्चिमी डोले के सहारे 15 फुट चौडा रास्ता कायम कर रास्ता घोषित किया जावे तथा 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे तथा नियमानुसार जो भी राशि बनती है। प्रार्थी से ले ली जाने की कृपा करे।

प्रार्थनापत्र पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को सूनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण 1 से 8 बावजूद सूचना के अदालत हाजा में हाजिर नहीं आऐं।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ख. न. 180, 179 वाके ग्राम में से रिकोर्ड रास्ता चाहते है। मौके पर प्रार्थी के रिहायशी मकान बने है। रास्ता रिकोर्ड नहीं होने से परेशानी होती है। उक्त आराजी में से रास्ता रिकोर्ड दिलाये जाने का प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया।

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। मौका रिकोर्ड दिनांक 7.6.2014 आई एल आर व पटवारी हल्का बघाना के अनुसार व प्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शा के प्रार्थी के मकानात को आम रास्ते में पहुचने का रास्तो में पडोसी काश्त कर द्वारा व्यवधान किया जाता रहा है। इस व्यवधान से मुक्त होने के लिये प्रार्थी उसके मकान व आम रास्ते के बीच मे पडने वाले आराजीयात ख. न. 179 180 खातेदारी की आराजी में से 60–15 फुट का रास्ता चाहता है। जो रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजीयात ख. न. 180/0–11 व 179/0–05 वाके ग्राम कासिमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में मौके पर रास्ता हेतू वांछित आराजी 60 फुट लम्बाई उत्तर दक्षिण व 15 फुट चौडाई पूर्व से पश्चिम की पैमाईश के अनुसार कुल रास्ते के क्षेत्रफल की भूमि कीमत डी एल सी रेट की दुगना दर से अप्रार्थीगण 1 से 8 को उनके राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अदा कराई जाकर रास्ते के क्षेत्रफल के रकबे का अप्रार्थीण 1. निहालसिंह 2. श्योदानसिंह 3. रामकिशन 4. बलराम पुत्रान श्री सिघाराम 5. मु0 किस्तूरी बेवा सिंघाराम 6. साधुराम 7. कंवरसिंह जाति गुर्जरान 8. रोहताश पुत्रान श्री धन्नाराम जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम कासिमपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 की खातेदारी से कलमजन कर उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार कोटकासिम को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0	दावा दायरा दिनांक	प्रार्थनापत्र	निर्णय दिनांक
01/2014	05.06.2014		1.1.16

उनवान

हरचन्द बनाम निहालसिंह

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10
व सपठित धारा 151 जा0दी.

उपस्थित :–
1. श्री आनन्दराव अधिवक्ता प्रार्थी 1/10
2. श्री रामफल अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 5 जा0दी0निम्न पेश किया कि प्रार्थी हरचन्द द्वारा उक्त अनुवानी प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान में पेश किया है। जिसमे हरचन्द द्वारा निहाल वगैरा से उनकी आराजी खसरा न0 180 व 179 वाके ग्राम कासिमपुर से 15 फुट चौडा रास्ता कायम बाबत चाहा है जो कि हरचन्द व निहाल वगैरा मिलत कर राजस्व रिकोर्ड मे रास्ते का अंकन कराना चाहते हैं। हरचन्द द्वारा जो आम रास्ता 10.6 फुट चौडा दर्शाया गया है। वह न्यायालय के समक्ष गलत पेश कर न्यायालय को गुमराह किया है। जबकि मौके व रिकोर्ड में यहॉ कोई रास्ता नही है। मिन प्रार्थीगन की आराजी खसरा न0 183 है। आराजी खसरा नं0 183 पर मिन प्रार्थीगन द्वारा हरचन्द वगैरा के खिलाफ दावा हु0 ई0 दवामी का बअनुवान हीरासिंह आदि बनाम हरचन्द का पेश कर स्थगन आदेश ले रखा है। दिनांक 26/6/14 को हरचन्द ने मिन प्रार्थीगन को ऐंलानिया तौर पर धमकी दी कि हम तुम्हारी आराजी में से रास्ता सरकारी दर्ज कराने के लिये दावा कर रखा है। तब मिन प्रार्थीगन ने अदालत श्रीमान में उक्त अनुवानी पत्रावली का अवलोकन किया तब मालूम पडा। तब मिन प्रार्थीगन ने श्री आंनदराव वकील साहब से कानुनी सलाह मशविरा किया तब उन्होने कहा कि तुम्हें भी उक्त प्रार्थनापत्र मे पक्षकार मुकदमा बनाना पडेंगा। जिसके लिये तुम्हें अदालत श्रीमान में लिखित में प्रार्थनापत्र तारीख पेशी दि0 27/6/14 पर पेश करना पडेगा। जिससे कि अविलम्ब यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त अनुवानी प्रार्थनापत्र में मिन प्रार्थीगन के हक हकूक निहित है व तय होने है। इसलिये मिन प्रार्थीगन को पक्षकर मुकदामा बनाया जाना कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगन का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थनापत्र में मिन प्रार्थीगन को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पेरवी करने की इजाजत प्रदान की जावे ।

प्रार्थनापत्र की नकल वादी/अप्रार्थी वकील को दी गई।
अप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश नहीं किया। बहस की गई।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 5 जा0दी0निम्न पेश किया कि प्रार्थी द्वारा निहाल वगैरा से खसरा न0 180 व 179 में से 15 फुट चौडा रास्ता चाहा है हरचन्द व निहाल वगैरा मिल्लत कर राजस्व रिकोर्ड मे रास्ते का अंकन कराना चाहते हैं। जो आम रास्ता 10.6 फुट चौडा दर्शा कर न्यायालय को गुमराह किया है। जबकि मौके व रिकोर्ड मे यहॉ कोई रास्ता नही है। मिन प्रार्थीगन की आराजी खसरा न0 183 है। इस पर मिन प्रार्थीगन द्वारा स्थगन आदेश ले रखा है। दिनांक 26/6/14 को हरचन्द ने मिन प्रार्थीगन को धमकी दी कि उसने हमारी आराजी में से रास्ता सरकारी दर्ज कराने के लिये दावा कर रखा है। तब मिन प्रार्थीगन ने अदालत श्रीमान में उक्त अनुवानी पत्रावली का अवलोकन किया तब मालूम पडा। मिन प्रार्थीगन ने श्री आंनदराव वकील साहब से कानूनी सलाह मशविरा किया तब उन्होने कहा कि तुम्हें भी उक्त प्रार्थनापत्र में पक्षकार मुकदमा बनना पडेंगा। । जिससे कि अविलम्ब यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त अनुवानी प्रार्थनापत्र में मिन प्रार्थीगन के हक हकूक निहित है व तय होने है। इसलिये मिन प्रार्थीगन को पक्षकर मुकदामा बनाया जाना कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है। अतः श्रीमान जी उक्त प्रार्थनापत्र में मिन प्रार्थीगन को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पेरवी करने की इजाजत प्रदान की जावे ।

वादी/अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी की आराजी ख0नं0 180, 179 में से रास्ता चहा गया है। ख0नं0 180, 179 में प्रार्थी का कोई हित निहित न हीं है। अन्तर्गत धारा 251–क एक समरी–प्रोसिडिंग है। इससे सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्राथी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्य Fabricated, false, infictious है। प्रा0पत्र खारिज योग्य है। खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में ख0नं0 180, 179 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी ख0नं0 183 बताई गई है। जिसमें से कोई रास्ता नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता। वैसे भी 215–क Summry proceeding है। इससें सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रा0पत्र पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी हीरासिंह वगैरा का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज किया जाता है प्रा0पत्र निर्णय शुमार होकर सलंग्न मूल वाद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.1.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner